संख्या—5 / श्रम स्था0 विवेकानुदान—10 / 2019 श्र0सं0—

बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

के0 सेंथिल कुमार,
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक—

विषयः— मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—337 दिनांक—29.6.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष—2018—19 के लिए माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विवेकानुदान के तहत् आवंटित राशि 5,00,000 / — (पाँच लाख रूपये) मात्र के अन्तर्गत निम्नांकित छात्र / छात्राओं के नाम के सामने अंकित राशि—15,000 / — (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति।

क्र0सं0	छात्र / छात्रा का नाम	पिता / माता का नाम	पता	राशि
1.	प्रियंका कुमारी	श्री व्रतेन्द्र प्रसाद सिंह	बड़हिया, लखीसराय	10,000=00
2.	लक्ष्मी कुमारी	श्री मुकेश कुमार	महेशपुर (मुंगेर)	5000=00
				कुल रूपये— 15,000 / —

(पन्द्रह हजार रूपये) मात्र।

आदेशः— **स्वीकृत।**

उपर्युक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक—337 दिनांक—29.6.2018 द्वारा माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विवेकानुदान मद में वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए 5,00,000 / — (पाँच लाख रूपये) मात्र की राशि आवंटित की गई है जिसमें माननीय मंत्री स्वेच्छानुसार संलग्न सूची में अंकित 02 (दो) विद्यार्थियों के नाम के सामने अंकित राशि पठन—पाठन हेतु स्वीकृत किया जाता है।

2. अनुदान का विवरण निम्नलिखित हैः—

क.	अनुदान पाने वाले का नाम एवं पता	सूची संलग्न है।
ख.	अनुदान का अभिप्राय	पठन—पाठन हेतु
ग.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जो इस रकम की निकासी एवं भुगतान करेंगें।	अवर सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना
घ.	कोषागार जहाँ से निकासी की जायेगी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
च.	वित्तीय वर्ष—2018—19 के अन्तर्गत स्वीकृत राशि (पहली वार)	रू0— 15,000 / —
छ.	बची हुई राशि	रू0— शून्य

कृ0पृ0उ0

3. यह राशि चालू वित्तीय वर्ष–2018–19 में विवेकानुदान मद में आवंटित राशि 5,00,000/– के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–2013 मंत्रिपरिषद– उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–105–मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान उप शीर्ष–0002– मंत्रियों का वैवेकिक अनुदान–विषय शीर्ष–3601 विवेकानुदान, विपत्र कोड–04–2013001050002, माँग संख्या–04 से विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि में से यदि कोई राशि बचती है तो इसकी सूचना श्रम संसाधन विभाग को दी जाय।

5. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561 दिनांक–17.04.98 में दिये गये निदेश के आलोक में की जायेगी।

6. विद्यालय/कॉलेज/संस्थान प्रधान संबंधित छात्र/छात्राओं से अनुदान प्राप्त होने का प्रमाण पत्र प्रपत्र–"अ" में प्राप्त कर अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग को भेजेंगे।

7. विद्यालय/कॉलेज/संस्थान प्रधान संबंधित छात्र/छात्राओं से इस आशय का प्रमाण प्राप्त कर लेंगे कि उस व्यक्ति द्वारा अन्य किसी प्रकार का वैवेकिक अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है और न ही इस हेतु अन्यत्र अभ्यावेदन दिया गया है।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(के0 सेंथिल कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/श्रम स्था0 विवेकानुदान–10/2019 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/श्रम स्था0 विवेकानुदान–10/2019 श्र0सं0– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बजट शाखा/माननीय मंत्री, श्रम के आप्त सचिव/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा (दो प्रति में), श्रम संसाधन विभाग (सरकार पक्ष), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/श्रम स्था0 विवेकानुदान–10/2019 श्र0सं0– 289 पटना, दिनांक– 11/3/2019

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिव/बिहार विधान सभा के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के आप्त सचिव/ बिहार विधान परिषद् के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/19

सरकार के विशेष सचिव

11/3/19

आई0टी0मैनेजर